

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-208/2024-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० हरि प्रिया, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, लखीसराय के प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-15.01.2023 से 15.07.2023 तक को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-15.01.2023 से 13.07.2023 तक - कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-14.07.2023 से 15.07.2023 तक - कुल-02 (दो) दिन देय अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-208/2024-

991/2

पटना, दिनांक 17/6/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/डा० हरिप्रिया, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Bhury
10/6/25

सरकार के अवर सचिव।

६